न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

जितेन्द्र कुमार बनाम सायरमल

किस्म मुकदमा 225 मु. नं0 12 वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
1.2.2018	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस मे कथन किया कि अदालत मातहत ने ~~ø~~ भूमि ख0नं0 94 ~~øøøø~~, 94/328, 95, 96, 97, 98, 99 कुल किता-7 रकबा 5.22 हैक्टर ग्राम कदमा का बास में अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा है । रेस्पोडेन्टस् उक्त आराजी को बिना बटवारा किये ही बैचान करने पर आमादा है । इस निवेदन को अदालत मातहत ने नजर अन्दाज कर मेरा ~~ø øøø~~ स्थगन प्रार्थना पत्र यह कहते हुये खारिज कर दिया कि अप्रार्थीगण सह खातेदार का.तकार है इस कारण उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता । अदालत मातहत ने मेरा प्रार्थना पत्र केवल दावा विभाजन का मानकर खारिज कर दिया। जबकि मेरा प्रार्थना पत्र उक्त आराजी को बैचान अन्तर नहीं करें राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति का था किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यो पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है। अत: प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी की रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिये रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे । बहस के समर्थन में आरआरटी 2016§2§ पेज 1205 पे.T की जिसमें निवेदन किया कि अपीलाधीन आदे.T की अपील ही होगी रिविजन नहीं होगा । अत: मेरा प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जावे ।	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस बगौर समाहत की गई । अदालत मातहत क निर्णय का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने विवादित आराजी को संयुक्त खातेदारी की मानकर प्रार्थना पत्र को खारिज किया है । किन्तु विवादित आराजी के अपीलान्ट भी सहखातेदार है ऐसी स्थिति

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
लाडनूं

में विवादित आराजी का अन्तरण अथवा बैचान हो जाता है प्रकरण में पक्षकारों के मध्य ओर अधिक पैचिदगीया बंढने की ही अधिक सम्भावनाऐ रहती है इस कारण हम अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर स्वीकार कर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 2 माह में दोनों पक्षों को सुनकर विधि संगत निर्णय पारित करें तथा तब तक उभयपक्षों को हम स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना भी उचित मानते हैं कि वह विवादित आराजी का रहन बैय एवं किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी धोद का निर्णय दिनांक 27-12-2017 खारिज किया जाता है प्रकरण अदालत मातहत का इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह पक्षकारों को सुनकर ~~उसे~~ उनके यहां विचाराधीन प्रा0 पत्र धारा-212 का दो माह में निर्णय करें तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी का रहन बैय एवं किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें । पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवें ।

निर्णय सुनाया गया ।

1/2/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर